अपील पंजियन सं0 5/2016 अनवानी वीना वधवा धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री देवेन्द्र वधवा जाति अरोड़ा निवासी 652 होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर बनाम उपपंजियक श्रीगंगानगर

26.12.2016

अपीलार्थीया के अभिभाषक श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित है। उपपंजियक (तहसीलदार) श्रीगंगानगर उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में दिनांक 19.12.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अपील अपीलार्थीया वीना वधवा की ओर से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 72 के तहत उपपंजियक, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.04.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसके द्वारा उपपंजियक, श्रीगंगानगर ने देवेन्द्र वधवा पुत्र जयराम वधवा द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24.03.15 को उनके देहान्त उपरांत पेश करने पर पंजिकृत करने से ईन्कार किया है।

अपीलार्थीया के अभिभाषक का कथन था कि देवेन्द्र वधवा पुत्र स्वर्गीय श्री जयराम वधवा जाति अरोडा निवासी 652 होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर जो अपीलार्थीया के पति है के द्वारा अपनी स्वयं अर्जित शहरी सम्पति की वसीयत दिनांक 24.03.15 को गवाहान श्री मधुरंजन वधवा व श्री सत्येन्द्रपाल सिंह के समक्ष स्वस्थचित से अपीलांटा के पक्ष में निष्पादित की थी जिसे नोटरी पब्लिक से दिनांक 24.03.15 को तस्दीक करवाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनका आगे कथन था कि वसीयतकर्ता श्री देवेन्द्र वधवा पुत्र स्व0 जयराम वधवा का देहान्त दिनांक 04.08.15 को हो गया और मूल वसीयत मय प्रार्थना पत्र एवं चैक लिस्ट व वसीयत के गवाहान श्री सत्येन्द्रपाल सिंह व श्री मधुरंजन वधवा के शपथ पत्रो एवं श्री देवेन्द्र वधवा के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समस्त वारिसान के शपथ पत्रो एवं सम्पत्ति के दस्तावेज सहित पेश किये थे किन्तु उन्होने वसीयत पंजिकृत न करके यह कहकर कि मुझे तो वसीयत फर्जी प्रतीत होती है, मैं पंजियन नही करूंगी और इस पर अपीलांटा की ओर से नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए कहे जाने पर उपपंजियक द्वारा मूल दस्तावेज अपने पास रख लिये और फोटो प्रति पर प्राप्ति की रसीद अंकित कर दे दी गई एवं कथन किया कि आप जाओ और आपको मोबाईल पर सूचना दे देंगें।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 04.05.16 को अपीलांटा का भतीजा गौरव वधवा वसीयत का पता करने गया तो उसे बताया कि उक्त दस्तावेज को पंजियन से ईन्कार कर दिया है। उपपंजियक कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा मूल प्रा0 पत्र अपने पास रखकर एवं विधि विरूद्ध ढंग से मूल दस्तावेज वसीयत के प्रथम पृष्ठ की पुश्त पर आदेश अंकित कर दिया जो कि उपपंजियक द्वारा अपीलांटा के दस्तावेज को क्षति पहुंचाने का कृत्य है। जबकि नियमो के तहत उपपंजियक अधिकारी मूल दस्तावेज पर केवल पंजियन ईन्कार का नोट अंकित कर हस्ताक्षर करने हेतू अपना आदेश बुक

न0 2 में लिखकर अविलम्ब प्रति देने के लिए अधिकृत है। अधनियम की धारा 19से21, 23, 25, 25(3) के निर्देशो की पालना न होने पर ही दस्तावेज पंजियन से ईन्कार किया जा सकता है। जबकि इन नियमों के विपरीत कोई बात नही थी। रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 39 के अनुसार भी दस्तावेज की वैद्यता को देखने का अधिकार उपपंजियक को नही है। उपपंजियक को केवल यह अधिकार है कि वह मूल दस्तावेज पर महज ईन्कार अंकित कर वापिस लौटाते तथा बुक न0 2 में सकारण आदेश वर्णित कर अविलम्ब अपीलार्थीया को देतें। किन्तु उनके द्वारा अपीलांटा के मूल दस्तावेज को नष्ट करने के आश्य से दस्तावेज को विधि के अज्ञापक प्रावधानो के एवं पंजियन नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है इसलिए उपपंजियक अपीलकृत आदेश 29.04.2016 निरस्त किया जावे और मूल दस्तावेज पंजियन किया जावे।

इसके विपरीत उपपंजियक (तहसीलदार) श्रीगंगानगर का कथन था कि पंजियन नियम के नियम 39 में उपपंजियक के सन्तुष्ट होने पर ही दस्तावेज पंजियन करने की व्यवस्था है। चूंकि निष्पादित वसीयत नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित है और जिस पर कमांक दर्ज नही है और वरवक्त प्रस्तुतकरण नोटेरी का शपथपत्र भी पेश नही किया गया है जिससे साबित हो सके कि नोटरी द्वारा ही उक्त दस्तावेज का प्रमाणीकरण किया गया है। नोटरी नियम 11 के अन्तर्गत नोटरी का कार्य प्रमाणित नही होता है और पंजियन अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत पंजियन से इन्कार करने का नोट दस्तावेज पर अंकित करना अनिवार्य है। इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है और अपीलार्थीया की अपील खारिज करने योग्य है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। **उपपंजियक को राज0 रजिस्ट्रेशन नियम 1955 के नियम 39 के तहत किसी भी प्रस्तुत दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता नही है केवल इस नियम में अंकित प्रावधानो के अन्तर्गत ही उसे कार्यवाही करनी चाहिए।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलार्थीया की अपील स्वीकार करते हुए उपपंजियक श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 29.04.2016 निरस्त किया जाता है और मामला उपपंजियक श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थीया को सुनकर पंजियन अधिनियम/नियमो के अन्तर्गत ही मूल वसीयत के पंजियन के संबंध में पुनः निर्णय किया जावे। मूल वसीयत एवं इसके साथ प्रस्तुत मूल शपथ पत्र मधुरंजन, सत्येन्द्रपाल सिंह व वीना वधवा, सोनिया, अर्जुन वधवा की प्रमाणित प्रतियां ली जाकर पत्रावली में रखी जावे और मूल वापिस लौटाये जावे। आदेश की प्रति उपपंजियक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला पंजियक एवं
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर